आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

निविदा सूचना संख्याः– 21/2018–19

दिनांक 17/10/18

अति–अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्यो हेतु ई–निविदा के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की जाती हैः–.

क.सं.	कार्य का नाम	बी.ओ.क्यू. धनराशि (रू0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रू0 में)	निविदा मूल्य (रू0 में) समस्त करों सहित	कार्य पूर्ण करने की अवधि	पात्र श्रेणी	अभियंत्रण खण्ड
1	ताजनगरी फेस–2 योजना में टी.टी.जेड़ 100 फीट रोड, टी.टी. जेड 125 फीट रोड ब्लॉक–ए 18 मी0 रोड, रोड सं.–1, रोड सं.–5, रोड सं.–11 पर गढ्ढा मुक्ति का कार्य (पेवर द्वारा) तथा रोड सं.–11 पर नाला मरम्मत कार्य।	19.97	40,000/–	1120/–	45 दिन	D	खण्ड–2
2	शास्त्रीपुरम योजना के अन्तर्गत सड़कों पर गढ्ढा मुक्ति का कार्य।	15.26	30,550/–	1120/–	45 दिन	D	खण्ड–4

- उक्त कार्यो की निविदायें दिनांक 25.10.2018 को आमंत्रित की जाती है। यह निविदायें दिनांक 19.10.2018 से 24.10.2018 के अपरान्ह 3:00 बजे तक ई–निविदा पोर्टल www.etender.up.nic.in पर डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।
- निविदा सम्बन्धी विस्तृत शर्ते एंव अन्य विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट www.adaagra.in पर देखी जा सकती है।

नियम व शर्तेः–

1– उक्त कार्यो की निविदायें दिनांक 25.10.2018 को आमंत्रित की जाती है, जो कि उसी दिन 12:30 अपरान्ह खोली जायेगी।

2– निविदायें दिनांक 19.10.2018 के अपरान्ह 12:30 बजे से दिनांक 24.10.2018 के अपरान्ह 3:00 बजे तक ई–निविदा पोर्टल www.etender.up.nic.in पर डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।

3 (क)– वांछित धरोहर धनराशि RTGS/NEFT के माध्यम से निविदा तिथि से एक दिन पूर्व तक प्राधिकरण खाता संख्या 540002010006001 (बैंक का नाम/पता –यूनियन बैंक ऑफ इन्डिया ए.डी.ए ब्रान्च जयपुर हाउस, आगरा) IFSC CODE UBIN0554006 में जमा करना अनिवार्य होगा तथा इसके साक्ष्य के रूप में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा की गयी धरोहर धनराशि के यू.टी.आर. नंबर का विवरण भी निविदा के साथ अपलोड कराया जाना आवश्यक है, अन्यथा की दशा में निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

3 (ख)– धरोहर धनराशि एफ.डी.आर/एन.एस.सी. के माध्यम से भी जमा की जा सकती है। राष्ट्रीकृत बैंक की एफ.डी.आर. अथवा एन.एस.सी के माध्यम से जो कि अधिशासी अभियंता के पक्ष में बंधक की गयी हो, निविदा से एक दिन पूर्व अधिशासी अभियंता कार्यालय में 3:30 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा तथा धरोहर धनराशि की छायाप्रति/स्कैन प्रति निविदा के साथ अपलोड करना होगा। अन्यथा की दशा में निविदा मान्य न होगी।

4–निविदा अपलोड करने से पूर्व निविदा दाता स्थल का निरीक्षण कर कार्य सम्पादन की परिस्थितियों का आकलन अवश्य कर ले। समस्त शंकाओं का समाधान सम्बन्धित अधिशासी अभियंता से कर लें। निविदा अपलोड करने के उपरान्त निविदादाता का कोई अन्य पक्ष मान्य न होगा। सशर्त निविदा मान्य न होगें।

5–प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों को अपनी श्रेणी के अलावा एक श्रेणी निम्न तक भी निविदा डालने का अधिकार होगा।

6–विशिष्ट श्रेणी के कार्यो के अन्तर्गत प्रश्नगत कार्य में दक्ष निविदादाता/फर्म द्वारा भाग लिया जा सकता है। इन कार्यो हेतु प्रधिकरण में पंजीकरण की बाध्यता न होगी। सफल निविदा दाता को पंजीकरण की औपचारिकता पूर्ण करानी होगी।

7–निविदा की दरें शब्दों एंव अंको में स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी।

8–निविदा की दरें कार्य की लागत से निम्न होने की दशा में लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या–622/23–12–2012–2 आडिट/08टी.सी–2, दिनांक 08 जून 2012 के अनुसार वांछित परफोरमेन्स गारन्टी अनुबन्ध से पूर्व देय होगी।

9–सभी निविदादाताओ को श्रम विभाग, जी.एस.टी एंव अन्य कोई विभाग (जहॉं कोई टैक्स देय हो) में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

10– पेवर/हॉटमिक्स प्लाण्ट के कार्यो में केवल हॉटमिक्स प्लाण्ट धारक ठेकेदार ही भाग ले सकते है। प्लाण्ट स्वामित्व का प्रमाण पत्र निविदा के साथ देना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा विचारणीय न होगी।

11– सिविल कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप कराये जाने होगे।

12–निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निर्विवाद रूप से उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, में निहित होगा, जिसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकेंगी।

13– 40 लाख से अधिक धनराशि व विशिष्ट श्रेणी के कार्यो में Two Bid System के अन्तर्गत निविदायें आमंत्रित होगी। तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जाएगी।

14–निविदादाताओं से अपेक्षा की जाती है कि अपना बैंक एकाउन्ट संख्या का उल्लेख कर दें ताकि असफल निविदादाताओं की धरोहर धनराशि उनके बैंक एकाउन्ट में RTGS/NEFT के माध्यम हस्तानान्तरित की जा सके।

15– जिन ठेकेदारों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष हेतु नवीनीकरण/पंजीकरण शुल्क जमा नही किया है, वह निविदाओं में भाग लेने हेतु अनुमन्य न होगें व उनकी निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

अधीक्षण अभियंता

पत्रांक :........../डी/सी.ई/2018–19, दिनांक : – 17/10/18

प्रतिलिपि :–

1–उपाध्यक्ष महोदया को अवलोकनार्थ।
2–सचिव/वित्त नियन्त्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3–प्रभारी निविदा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4–जनसम्पर्क अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे वेब साइट एवं दैनिक समाचार–पत्रों में प्रकाशित करायें।
5–समस्त अधि0अभि0 अपने से सम्बन्धित कार्य की बी.ओ.क्यू. समयान्तर्गत अधि0 अभि0 ई–टेन्डरिंग को भिजवायें।
6–नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

अधीक्षण अभियंता

Scanned by CamScanner